



## क्षेत्रीय कार्यालय REGIONAL OFFICE कर्मचारी राज्य बीमा निगम EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

संख्या/No. D/CDO/11-40-81490-101

तारीख/Dated: 51 <del>1186</del>

	~*·	2.7
सेवा	मे/ा	
MMI	<b>947</b> 3	(1

ग्रेसर्ग/M/s Micromax Informatics Ltd.,
1/6, LGF, East Patel Nagar

New Delhi-8

विषय:

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का कार्यान्वयन और (यथा-संशोधित अधिनियम की धारा 2(12)/1(5) के अधीन कारखानों तथा स्थापनाओं के कर्मचारियों का पंजीकरण।

Subject

Implementation of the E.S.I. Act, 1948 and Registration of Employees of the Factories and Establishments under Section 2(12)/1(5) of the Act as amended.

महोदय/Dear Sir/s.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ીં. ુ	आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना
4 75 1 181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	संख्या द्वारा
N.	क्षेत्र में सभी कारखानों/स्थापनाओं को अधिनियम के अधीन व्याप्त करने हेतु अधिनियम के उपबंध बनाए हैं।
***	It is informed that under section 1(3) of the E.S.I. Act, 1948 the Central Government has vide notification
300 85	No. SF-12(36) dated 1/2/52 made the provisions of the Act applicable to all
	factories/establishments covered under the Act within the (Area)
2.	यह भी सूचित किया जाता है कि समुचित सरकार ने अधिनियम की धारा 1(5) के अधीन अधिसूचना संख्या
440	तारीख
1 2 mg	से अन्य स्थापनाओं पर अधिनियम के उपबंधों/धाराओं का विस्तार कर दिया है।
	It is further informed that the appropriate Government has extended the provisions of the Act to other establishment
	under Section 1(5) of the Act with effect from $\frac{29/3/75}{}$ (vide notification No. F-27(2)/75
	dated 28/3/75 ).
3.	अधिनियम की धारा 2क के अधीन ऐसे कारखाने/स्थापना को अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराना अनिवार्य है तथा अध्याय 4 के
<b>3.</b> 8.	अन्तर्गत प्रधान नियोजक की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत कराएं तथा अधिनियम के अधीन
	व्याप्त सभी कर्मचारियों के अंशदान की अदायगी करें।
5,7	Under Section 2-A of the Act such a factory/establishment is required to register itself under the Act and Chapter IV
	thereof casts a responsibility on te principal employer thereof to insure his employees and pay contributions in respect
rs ,	of these employees covered under the Act.
4.	आपके द्वारा भेजे गए आपके कारखाने/स्थापना के विवरण के अनुसार तारीख
	शाखा कार्यालय प्रबंधक द्वारा आपके कारखाने/स्थापना की निरीक्षण संबंधी निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार आपका कारखाना/स्थापना
	तारीखमें अधिनियम की धारा 2(12)/1(5) की सीमा में आता है। फिर भी यदि, बाद में जांच करने
	पर यह बात सामने आती है कि आपका कारखाना/स्थापन उल्लिखित तारीख से पहले व्याप्ति योग्य था तो उस पिछली तारीख से अधिनियम की धाराओं का अनुपालन करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
	On the basis of the particulars in respect of your factory/establishment submitted by you, the report of the inspection
	Insurance Inspector/Branch Office Manager who Inspected your factor/procession
Y.	on 20/5/06 Insurance Inspector/Branch Office Manager who Inspected your factory/establishment your factory/establishment falls within the purview of Section 2(12)/1(5) of the Act
	1/12/05(D) in case however, subsequent facts reveal that your factory/establishment was
	to the date mentioned above, you shall make yourself liable to comply with the provision
	of the Act from such earlier date.
5.	भापसे अनुरोध है कि आप अधिनियार के अधीन क्यांति की क्यांति के क्या करते
.,	भापसे अनुरोध है कि आप अधिनियम के अधीन व्याप्ति की तारीख से आप अपने कारखाने/स्थापना के कर्मचारियों के घोषणा-पत्र

रने तथा उनके पंजीकरण और अंशदान की अदायगी व रिकार्ड के अनुरक्षण संबंधी कार्रवाई तुरन्त करें तथा रिकार्ड आदि का अनुरक्षण

<sup>&#</sup>x27; requested to take immediate steps for registration of your employees by submitting Declaration forms, payment of

में स्थित निगम के शाखा कार्यालय को अनुदेश भेज दिए गए हैं कि वे आपके कर्मचारियों के पंजीकरण से संबंधित प्रक्रिया में आधा हर संभव सहायता करें। कोई कठिनाई होने पर अथवा योजना से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए आप उपरिलिखित शास्त्र अध्या प्रवन्धक से संपर्क करें जो आपकी इस संबंध में हर संभव सहायता करेंगे।

For the sake of convenience you establishment has been allotted code No. which may kindly be used in all communication sent to this office and on all forms at the placed indicated for the purpose. The Branch the Corporation situated at Karam Pura has been instructed necessary assistance to you in connection with registration of your employees. In case you find any difficulty of the purpose which may be necessary in connection with the Scheme you are requested to contact the Manager of the above Branch Office who will render necessary help in the matter.

7. अनुरोध है कि बीमा चिकित्सा व्यवसायियों/राज्य बीमा औषधालयों की सूचियों का अपने कारखानों/स्थापना में भरसक प्रचार कर ताक आपके कर्मचारी अपने राज्य बीमा औषधालयों/बीमा चिकित्सा व्यवसायियों का चयन कर सकें। अपेक्षित फार्म आदि उपरितिखन शाखा कार्यालय से प्राप्त करें जिसके साथ आपके सभी कर्मचारी भी सम्बद्ध होंगे।

It is requestd that publicity may kindly be given to list of Insurance medical practitioners, State Insurance Dispensaries to enable your employees to choose their State Insurance Dispensaries/Insurance Medical Practitioner. Required toms etc., may please be collected from the Branch Office mentioned above to which all your employees will also be attached

8. निगम के कर्मचारी, राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन आपको अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन हेतु हर संभव एवं आवश्यक सहायता सहर्ष प्रदान करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम तथा विनियम के उपबंधों का समय से अनुपालन करेंगे।

The Corporation Officials would be pleased to give all necessary and possible guidance to you in discharging your dutes and obligations under the ESI Act, 1948, and I am confident of prompt and early compliance under the povisions of the ESI Act Regulation on your part.

9. कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत बैंक शाखाओं की एक सूची संलग्न है। आप अपनी सुविधानुसार इस शाखाओं में से कोई एक शाखा चुनने की कृपा करें और इसकी सूचना इस कार्यालय को तथा भारतीय स्टेट बैंक की स्विधित शाखा को भेज दें तथा केवल उक्त शाखा में कर्मचारी राज्य बीमा राशि जमा करायें। यदि इस पत्र की प्राप्त के 15 दिन के अच्छर आपार कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो जिस अधिकृत शाखा विशेष में अपने अंशदान की राशि जमा कराई होगी उसे आप कारखान/ स्थापन के लिए ''नामित शाखा'' मान लिया जाएगा।

A list of Bank Branches who are authorised to accept ESI contributions is enclosed. You may choose one of the Branches convenient to you, under initimation to this office and to the concerned branch of the State Bank of India and deposit the ESI dues in that branch only. In case no intimation is received within 15 days of the receipt of the letter the amount of contribution in one of the specified branch would be considered as "Nominated Branch" for your factory/es ablishment.

10. योजना के अन्तर्गत उपलब्ध/हितलाभों नियोजक आदि के उत्तरदायित्वों की विवरणिका/ईश्तहार इसके साथ इस निवेदन के साथ संस्थान है कि योजना के बेहतर कार्यचालन के लिए इसका ब्यापक प्रचार करें।

A brochure/leaflet containing benefits available under the scheme and obligation of the employer etc. is enclosed herewith with request to give wide publicity towards smooth functioning of the scheme.

कृपया विलंब से बचने के लिए, सभी पत्राचार में, अपनी कूट संख्या का उल्लेख करें।
 Please indicate your Code No. on all correspondences to avoid delay.

भवदीय/Yours faithful

awad

अनुलग्नक/Encl: As stated above

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित: Copy for information and necessary action to:

1: प्रबंधक, शाखा कार्यालय<sup>K</sup>aram Pura ....

The Manager, Branch Office

2 103 ক সাভা 103 A Branch

Co-ordn. Branch

बीमा निरीक्षक

The Insurance Inspector.....प्रभाग/Division प्रधान नियोजक का नाम

Name of the Principal Employer कर्मचारियों की संख्या
No. of Employees 22

कारखाना लाइसेंस संख्या, यदि कोई हो Factory Licence No. if any

उप निदेशक (वित्त)

Guard File

The Dy. Director (Finance)

सी-6 शाखा C-6 Branch

उप निदेशक/DY. ECTOR